



क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एस-ए-6, मण्डिया रोड़ औद्योगिक क्षेत्र, पाली

Phone No. 02932-231616 Email address-rorpcb.pali@gmail.com

क्रमांक :- क्षे.का.राप्रनिम-पाली/लैब -16/1016

दिनांक: 08-07-2025

खुली निविदा सूचना 02/2025-26

क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, पाली के राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता प्रबोधन कार्यक्रम (Natioanl Ambient Air Quality Monitoring Programme) पाली शहर में 03 स्थानों पर वायु प्रदूषण मापने वाली मशीनों का संचालन (Operation of Respirable Dust Sampler), सुरक्षा एवं सुरक्षित रखरखाव (Safety and Security), वायु नमूना संग्रहण (Collection of Air Samples) एवं संबंधित फील्ड डाटा शीट (Ambient Air Quality Monitoring Sheet) मय फिल्टर पेपर एवं अभिकर्मक विश्लेषणार्थ (Analysis) क्षेत्रीय प्रयोगशाला पाली को निर्देशानुसार हस्तान्तरण (Hand Over) करने का कार्य अनुबन्ध के आधार पर कराने एवं क्षेत्रीय प्रयोगशाला पाली हेतु अनुभवी फर्मों/पंजीकृत संस्थाओं/एजेन्सियों से दरें प्राप्त करने हेतु डबल कवर सिस्टम में खुली बोली निविदा आमंत्रित की जाती है:-

क्र० स०	विवरण	विशेष विवरण
1	कार्य का विवरण	वायु प्रदूषण मापने वाली मशीनों का संचालन, सुरक्षा एवं सुरक्षित रखरखाव, वायु नमूना संग्रहण, संबंधित फील्ड डाटा शीट मय फिल्टर पेपर एवं अभिकर्मक विश्लेषणार्थ कार्य, कार्यादेश दिनांक से 31.03.2026 तक की अवधि के लिये होगा।
2	कार्य की अनुमानित लागत (लाख में)	06.60 लाख
3	अमानत राशि/निर्धारित घोषणा पत्र	13200/- रुपये (DD/Banker Cheque- In favour of Regional Officer RSPCB, Pali)
4	निविदा प्रपत्र शुल्क	500/- रुपये (DD/Banker Cheque- In favour of Member Secretary, RSPCB, Pali)
4	निविदा प्राप्त करने की दिनांक	निविदा प्रकाशन की दिनांक 09/07/2025 से दिनांक 15.07.2025 तक कार्यालय समयानुसार
5	निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक एवं समय	16/07/2025 प्रातः 11:30 बजे तक
6	निविदा की तकनीकी एवं वित्तीय बिड खोलने की दिनांक एवं समय	16/07/2025 दोपहर 03:30 बजे

8. निविदा प्रपत्र एवं अन्य शर्तें मण्डलकी वेबसाईट www.environment.rajasthan.gov.in/rpcb एवं www.sppp.rajasthan.gov.in भी देखी जा सकती है।

NIB No ...P.C.B.2526.A0045.....

UBN No ...P.C.B.2526.S.S.R.C.40.046..

क्षेत्रीय अधिकारी
राप्रनिम, पाली

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान ए.सी.पी. (आई.टी.सेल) महोदय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि टेण्डर प्रपत्र राज्य मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करें।
2. कार्यालय नोटिस बोर्ड क्षे.का., रा0 प्र0 नि0 म0 पाली।

क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
 एस-ए-6, मण्डिया रोड़ औद्योगिक क्षेत्र, पाली
 Phone No. 02932-231616 Email address-rorpcb.pali@gmail.com

निविदादाता द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला तकनीकी निविदा प्रपत्र

- 1 उपापन प्राधिकारी का नाम:- क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, पाली
- 2 निविदा प्रस्तुत करने वाले का नाम/ फर्म का नाम:
- 3 पुरा पता :
- 4 संस्था की स्थिति में हस्ताक्षर करने वाले का नाम: व पदनाम एवं प्रमाणित हस्ताक्षर
- 5 निविदादाता का दुरभाष संख्या/ लेण्डलाइन नं मोबाईल नं
- 6 बोलीदाता/संवेदक द्वारा निम्नलिखित का विवरण निर्धारित कॉलम में प्रस्तुत किया जावेगा। पंजीकरण प्रमाण पत्रों की स्वहस्ताक्षरित प्रति बोली दस्तावेजों के साथ लगानी होगी :-

क्र.सं.	विवरण	रजि.सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1.	ठेकेदार/फर्म को पूर्व में सरकारी, अर्द्ध सरकारी कार्यालयों में राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता प्रबोधन कार्यक्रम अथवा अन्य समकक्ष राष्ट्रीय कार्यक्रम जिसमें नमूनों (सेम्पल) के एकत्रिकरण/विश्लेषण /नमूनों का परिवहन के लिए एवं वाहन चालक कर्मचारी आपूर्ति कराने का का कम से कम दो वर्ष तक निरन्तर सफलतापूर्वक उपलब्ध करवाये जाने का अनुभव होना आवश्यक है।				
2.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970।				
3.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
4.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
5.	वस्तु एवं सेवाकर (GST)				
6.	आयकर (पैन नंबर)				
7.	ब्लैक लिस्टेड अथवा डिफॉल्टर नहीं होने संबंधी 50रु. के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र।				
8.	निविदादाता की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होने के प्रमाण हेतु बैंक गारन्टी के तौर पर Bank Solvency कम से कम 05 लाख रुपये तक होना आवश्यक है। (Bank Solvency तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।)				
9.	निविदादाता का वित्तीय वर्षवार 2022-2023, 2023-24 and 2024-25 में टर्न ओवर जिसके समर्थन में चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित पत्र एवं सम्बंधित वर्षों की बैलेंस शीट तथा आईटीआर प्रस्तुत करनी होगी।				
10.	प्रमाणित बैंक खाता पासबुक/स्टेटमेन्ट की छायाप्रति				



क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एस-ए-6, मण्डिया रोड़ औद्योगिक क्षेत्र, पाली

Phone No. 02932-231616 Email address-rorpcb.pali@gmail.com

मण्डल द्वारा उक्त कराये जाने वाला कार्य विशिष्ट प्रकृति का होने के कारण निविदादाता द्वारा इस कार्य सम्पादन हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले व्यक्तियों के पास राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के राजस्थान स्थित किसी भी कार्यालय में अथवा सरकारी या अर्धसरकारी कार्यालय में परिवेशी वायु गुणवत्ता कार्यक्रम जिसमें नमूनों के एकत्रीकरण/विश्लेषण/नमूनों का परिवहन के लिये कर्मचारी आपूर्ति कराने/करने का न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है एवं वैज्ञानिक सहायक के कार्य सम्पादन हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले व्यक्तियों के पास राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के राजस्थान स्थित किसी भी कार्यालय में अथवा सरकारी या अर्धसरकारी कार्यालय की प्रयोगशाला में न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है जिसका निम्नलिखित विवरणानुसार निर्धारित कॉलम में अंकन कर संबंधित दस्तावेज की छायाप्रति पर स्वहस्ताक्षरित कर बोली दस्तावेजों के साथ अति आवश्यक रूप से लगाना होगा :-

क. सं	विभाग/संस्थान का नाम	उपलब्ध कराये गये क्षेत्र सहायको/वैज्ञानिक सहायक का आदेश विवरण एवं संख्या	उपलब्ध करवाये गये क्षेत्र सहायको/वैज्ञानिक सहायक की समयावधि	संबंधित विभाग/संस्थान से जारी संतोषजनक सेवा का प्रमाण पत्र का अंकन

- 7 Address proof:
- 8 निविदा शुल्क: 500/- रुपये रसीद संख्या/ डी डी/बैंकर चैक क्रमांकदिनांक सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भुगतान योग्य पाली के पक्ष में।
- 9 बोली प्रतिभूति राशि डीडी/ बैंकर चैक रुपये/- Regional officer, RSPCB, Pali पक्ष में।
- 10 मैं/ हम क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, पाली द्वारा जारी की गई निविदा सूचना क्रमांक राप्रनिम दिनांक में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न प्रपत्र में दी गयी उक्त निविदा सूचना की शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करता हूँ/ करते हैं एवं जिनके स्वीकार किए जाने के प्रमाण में निविदा प्रपत्र के सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।
- 11 अनुबन्ध कार्यादेश जारी करने की तिथि से वित्तीय वर्ष 31/03/2026 तक के लिये मान्य होगा। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर राज्य मण्डल द्वारा यथा आवश्यक बढ़ाया भी जा सकेगा।

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर

नाम: मैसर्स:.....

पता:

क्षेत्रीय अधिकारी
रा.रा.प्र.नि.म., पाली



क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
 एस-ए-6, मण्डिया रोड़ औद्योगिक क्षेत्र, पाली
 Phone No. 02932-231616 Email address-rorpcb.pali@gmail.com

निविदा से सम्बंधित कार्य का विवरण एवं श्रमिकों की योग्यता के सम्बंध में विवरण निम्नानुसार है : -

1.1 राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता प्रबोधन कार्यक्रम (National Ambient Air Quality Monitoring Programme) कार्य का विस्तृत विवरण:-

वर्तमान में पाली शहर में प्रबोधन केन्द्र (Monitoring Stations) निम्न स्थानों पर स्थित है :-

क्रमांक	स्थानकानाम	क्षेत्रीय प्रयोगशाला का नाम व पता जहाँ नमूने जमा कराने हैं।
1	क्षेत्रीय कार्यालय, राप्रनिम, पाली।	क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, एस.ए 6 मण्डियारोड़ औद्योगिक क्षेत्र, पाली
2	सर्किट हाउस, टेगोर नगर, पाली	
3	कृषि उपज मण्डी, जोधपुर रोड़, पाली	

उक्त प्रबोधन केन्द्रों (Monitoring Stations) की संख्या तीन से अधिक की जा सकती है।

1.2 परिवेशी वायु गुणवत्ता प्रबोधन केन्द्र पर क्षेत्र सहायक के अपेक्षित कार्य:-

- **कार्य का विवरण:** राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता प्रबोधन कार्यक्रम (National Ambient Air Quality Monitoring Programme) पाली स्थित (03) स्थानों पर, वायु प्रदूषण मापने वाली मशीनों के संचालन, (Operation of Respirable Dust Sampler), उक्त उपकरणों के आस-पास सफाई, रक्षा एवं सुरक्षित रखने (Safety And Security), वायु नमूना संग्रहण (Collection of Air samples) एवं संबंधित आंकड़ों (Ambient Air Quality Monitoring Data Sheet) मय फिल्टर पेपर एवं क्षेत्रीय कार्यालय प्रयोगशाला, रा.प्र.नि.मं. पाली को निर्देशानुसार आंकड़ों तथा वायु नमूनों का हस्तान्तरण (Hand over)/परिवहन करना। Sample (नमूना) के परिवहन के लिए किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भत्ता देय नहीं होगा। कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रबोधन केन्द्रों के स्थानों को परिवर्तित भी किया जा सकता है। मापन किये जाने वाले वायु प्रदूषण कों तथा मशीनों की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है।
 - निर्धारित स्टेशनों पर क्षेत्रीय कार्यालय, पाली द्वारा उपलब्ध करायी गयी मशीनों का सुचारु रूप से प्रचालन (Operation of Equipments)
 - प्रत्येक प्रबोधन केन्द्र (Monitoring Station) प्रत्येक सप्ताह में दो दिवस 24 घण्टे चलाया जायेगा।
 - वांछित कार्य सम्पादन के लिये 8 घण्टे प्रति पारी (6.00 A.M. से 2.00 P.M., 2.00 P.M. से 10 P.M एवं 10.00 P.M. से 6.00 A.M) के संचालन हेतु प्रति पारी न्यूनतम एक क्षेत्र सहायक (Field Assistant) नियुक्त किया जायेगा।
- 1.3 क्षेत्रीय कार्यालय, पाली द्वारा विशेष परिस्थिति एवं त्यौहार यथा दीपावली के दौरान चुनिंदा स्थानों/उपरोक्त लिखित प्रबोधन केन्द्र (केन्द्रों) पर सप्ताह में दो दिवस के स्थान पर तीन दिवस या अधिक दिन को भी यह कार्य किया जा सकता है। इस कार्य को करने की जिम्मेदारी भी ठेकेदार की होगी। इन कार्यों का भुगतान आनुपातिक दरों के अनुसार किया जायेगा।
- क्षेत्र सहायक (Field Assistant)** की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उच्च माध्यमिक/सीनियर सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होनी आवश्यक है। उक्त कार्य करने का अनुभव होने पर विज्ञान वर्ग के प्रार्थी को प्राथमिकता दी जावेगी।

वर्तमान में क्षेत्र सहायकों की आवश्यकता-04 (भविष्य में बढ़ोतरी योग्य)

1.4 वैज्ञानिक सहायक (Scientific Assistant) के अपेक्षित कार्य:-

परिवेशी वायु गुणवत्ता प्रबोधन कार्यक्रम में अभिकर्मक विश्लेषणार्थ (Analysis) के कुशल सम्पादन/संचालन में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाने के अतिरिक्त मण्डल द्वारा समय-समय पर दिये जाने वाले विभिन्न कार्यों का समयबद्ध तरीके से सम्पन्न करना।



क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एस-ए-6, मण्डिया रोड़ औद्योगिक क्षेत्र, पाली

Phone No. 02932-231616 Email address-rorpcb.pali@gmail.com

1.5 वैज्ञानिक सहायक (ScientificAssistant) की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता

(रसायन विज्ञान/ पर्यावरण विज्ञान) में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होनी आवश्यक है। स्नातकोत्तर विज्ञान वर्ग में (रसायन/पर्यावरण) को प्राथमिकता।

वर्तमान में वैज्ञानिक सहायक की आवश्यकता-01 (भविष्य में बढ़ोतरी योग्य)

1.6 शहर में परिवेशी वायु गुणवत्ता प्रबोधन हेतु (Air Quality Monitoring) निर्धारित स्थानों पर अवस्थित स्टेशन (Air Quality Monitoring Stations) ठेकेदार के कर्मियों द्वारा संचालित किये जायेंगे।

1.7 क्षेत्रीय अधिकारी/वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी/वैज्ञानिक अधिकारी/अन्य अधिकृत अधिकारियों को समय-समय पर कार्य का निरीक्षण करने का अधिकार होगा, जिसके दौरान पायी गई कमियों के आधार पर ठेकेदार/संस्था पर शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी साथ ही ऐसी कमियों का ठेकेदार/संस्था द्वारा तुरन्त निराकरण करना।

राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता प्रबोधन कार्यक्रम(National Ambient Air Quality Monitoring Programme)कार्य की शर्त:-

- निविदादाता को पाली शहर के सम्पूर्ण प्रबोधन केन्द्रों (Monitoring Stations)वर्तमान संख्या 03 पर कार्य सम्पादन करने हेतु निविदा प्रस्तुत करनी होगी।
- ठेकेदार/फर्म को पूर्व में सरकारी, अर्द्ध सरकारी कार्यालयों में परिवेशीय वायु गुणवत्ता कार्यक्रम अथवा अन्य वैज्ञानिक कार्य जिसमें नमूनों (सेम्पल) के एकत्रिकरण/विश्लेषण/नमूनों का परिवहन के लिये कर्मचारी आपूर्ति कराने का लगातार न्यूनतम दो वर्ष का सन्तोषप्रद कार्य सम्पादन का अनुभव होना आवश्यक है। अनुभव का प्रमाण पत्र (जो कि सम्बंधित विभाग द्वारा जारी किया गया हो) बोली पत्र के साथ संलग्न करना होगा। इस प्रमाण पत्र के अभाव में बोली पर विचार नहीं किया जावेगा। कार्यादेश को अनुभव के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- क्षेत्रीय अधिकारी, पाली को अधिकार होगा कि अनुबन्ध की अवधि के दौरान कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में नोटिस देकर अनुबन्ध को समाप्त कर सके। इस बारे में अनुबन्धकर्ता किसी भी हर्ज-खर्च की मांग नहीं कर सकेगा एवं निविदादाता द्वारा जमा करायी गयी प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।
- ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत निविदा या संलग्न दस्तावेजों में कोई मिथ्या तथ्य या कोई अन्य त्रुटि पायी जाने पर निविदा को रद्द करने एवं उसके द्वारा बोली प्रतिभूति घोषणा अनुसार नियमानुसार कार्यवाही करने का अधिकार क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल, पाली को होगा।
- विभाग किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये अस्वीकृत कर सकता है। विभाग के लिए न्यूनतम दर की निविदा स्वीकार करने की बाध्यता नहीं होगी।
- निविदा के साथ सभी आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न करने होंगे।
- हस्ताक्षर युक्त दस्तावेज क्षेत्रीय कार्यालय में जमा करवाना आवश्यक है इसके अभाव में निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
- राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता प्रबोधन कार्यक्रम(National Ambient Air Quality Monitoring Programme) के अन्तर्गत वायु नमूना संग्रहण (Ambient Air Monitoring) आंकड़ा प्रतिवेदन पत्र (Data Sheet) सहित क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयोगशाला, पाली को परिवहन के कार्य हेतु ठेका वित्तीय वर्ष 2025-2026 की शेष अवधि तक के लिए दिया जावेगा। ठेके की अवधि में कार्य उत्कृष्ट पाये जाने की स्थिति में ठेका आपसी सहमति से पूर्व स्वीकृत दरों एवं शर्तों पर बढ़ाया जा सकता है।
- प्रबोधन कार्य संचालन (Handling of Monitoring work)सम्पादन हेतु मशीन, उपस्कर/उपकरण, रसायन तथा कार्य प्रशिक्षण (Training on Operation of equipment, supply of Absorbing Solutions, Filter Papers) आदि क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयोगशाला, पाली द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे। आवश्यकतानुसार मशीन की मरम्मत, सर्विस (Servicing and Repairing) आदि की जिम्मेदारी मण्डल की होगी लेकिन प्रत्येक क्षेत्र सहायक (Technical Assistant) एवं वैज्ञानिक सहायक (ScientificAssistant) की कर्तव्य निष्ठा, सुचारु रूप से मशीन के संचालन/संधारण आदि के लिये निविदादाता उत्तरदायी होगा। क्षेत्र सहायक (Field Assistant)/ एवं वैज्ञानिक सहायक (ScientificAssistant) द्वारा मशीन के चालन/प्रचालन में रुकावट पर तुरन्त मण्डल के नामित अधिकारी को सूचित करना होगा। यदि ठेकेदार या उसके क्षेत्र सहायक (Technical Assistant) एवं वैज्ञानिक सहायक



क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एस-ए-6, मण्डिया रोड औद्योगिक क्षेत्र, पाली

Phone No. 02932-231616 Email address-rorpcb.pali@gmail.com

(ScientificAssistant) की लापरवाही से मशीन के खराब होने, कांच के सामान टूटने पर विभिन्न अभिकर्मको, फिल्टर पेपर, आकड़ा प्रतिवेदन, आकड़ा संग्रह आदि को क्षति पहुंचाने या दुरुपयोग करने पर ठीक कराने की जिम्मेदारी भी ठेकेदार की होगी तथा क्षेत्रीय कार्यालय उपकरण ठीक कराने में किये गये व्यय को धरोहर राशि/उसे देय भुगतान में से वसूल कर सकेगा।

- ठेकेदार को कॉन्ट्रैक्ट लेबर (रिग्यूलेशन एण्ड एबोलिशन) एक्ट, 1970 के अन्तर्गत पंजीकृत होना आवश्यक है। आयकर विभाग में स्थायी खाता संख्या एवं GST में रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी प्रमाण-पत्र संलग्न किया जावे।
- कार्यों के विवरण में दिये गये कार्यों को करते समय यदि किसी की मृत्यु हो जाती है या कर्मचारी किसी भी रूप में अपंग हो जाता है या अन्य कोई क्षति होती है या कोई अनहोनी हो तो उसकी समस्त जिम्मेदारी एवं इसके मुआवजे आदि के भुगतान का भार ठेकेदार द्वारा ही वहन किया जायेगा। क्षेत्रीय कार्यालय किसी भी प्रकार की क्षति/मुआवजे के लिये किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होगा।
- कर्मचारी राज्य बीमा, अंशदायी प्रावधानी निधि एवं अन्य कोई नियम जो ठेकेदार पर लागू होते हो तो उन नियमों के अन्तर्गत उनकी पालना करने का उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।
- ठेकेदार प्रतिमाह प्रभारी, प्रयोगशाला शाखा, पाली या समकक्ष से मासिक बिल प्रमाणित करायेगा। क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा स्वीकृत निविदा राशि का ही भुगतान किया जायेगा इसके अतिरिक्त किसी प्रकार का अन्य भुगतान नहीं किया जायेगा।
- ठेके की शर्तों का उल्लंघन करने पर बिना कोई नोटिस दिये ठेका निरस्त कर जमा कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।
- ठेके की व्यवस्था के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न हो जाने पर क्षेत्रीय अधिकारी, रा0 प्र0 नि0 म0, पाली आर्बिट्रेटर होगा और उनका निर्णय अन्तिम होगा जो दोनों पक्षों को मान्य होगा।

अन्य महत्वपूर्ण शर्तें:

- 1 ठेकेदार/संस्था इस कार्य सम्पादन हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले व्यक्तियों की सूची मय फोटो तथा योग्यता प्रमाण पत्रों के संलग्न करेगा।
- 2 इस निविदा के तहत कार्य के निष्पादन हेतु ठेकेदार/संस्था द्वारा निर्धारित योग्यताधारी व्यक्तियों को नियोजन किया जायेगा तथा ऐसे नियोजित व्यक्तियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर से कम भुगतान नहीं करेगा। यदि उसके द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो इस हेतु ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 3 ठेकेदार/संस्था द्वारा इस प्रकार नियोजित समस्त व्यक्तियों के आचरण की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार/संस्था की होगी तथा उसकी अनुशंसा पर ही उसके कर्मियों के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रवेशपत्र /परिचय- पत्र बनाए जायेंगे। प्रत्येक क्षेत्र सहायक (Field Assistant) एवं वैज्ञानिक सहायक (ScientificAssistant)के लिये (ठेकेदार/संस्था के प्रतिनिधि सहित) क्षेत्रीय कार्यालय का प्रवेश पत्र रखना आवश्यक तथा मांगने पर दिखाना होगा।
- 4 प्रबोधन केन्द्र के चालन के समय 24 घंटे व्यक्ति उपलब्ध रहना अनिवार्य है।
- 5 ठेकेदार/संस्था द्वारा कार्य पर लगाये गये क्षेत्रीय सहायकों एवं वैज्ञानिक सहायकों की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष तक होगी।
- 6 ठेकेदार/संस्था द्वारा अपराधिक चरित्र/अपराधिक प्रकृति/न्यायालय द्वारा अपराध-सिद्ध दोषी, सजायाफ्ता व्यक्ति को कार्य पर नहीं लगाया जावेगा।
- 7 ठेकेदार/संस्था के व्यक्तियों द्वारा यदि क्षेत्रीय कार्यालय सम्पत्ति, स्टेशन पर स्थापित उपकरण, विभिन्न रसायनो, अभिकर्मको आदि को कोई नुकसान पहुंचाया जाता है तो उसकी क्षतिपूर्ति ठेकेदार/संस्था को करनी होगी।
- 8 ठेकेदार/संस्था को राज्य मण्डल/क्षेत्रीय कार्यालय के प्रशासनिक अधिकारी द्वारा जब भी निर्देश हेतु बुलाया जावेगा तो वह तुरन्त उपस्थित होगा।
- 9 ठेकेदार/संस्था द्वारा नियोजित किये जाने वाले क्षेत्र सहायक (Field Assistant) एवं वैज्ञानिक सहायक (ScientificAssistant) के संबंध में विभिन्न श्रम एवं अन्य सम्बन्धित कानूनों के प्रावधानों की पालना करने का सम्पूर्ण दायित्व ठेकेदार/संस्था का होगा। क्षेत्रीय कार्यालय उक्त समस्त श्रम कानूनों के लिए किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होगा।
- 10 प्रभावी श्रम एवं अन्य सम्बन्धित कानूनों के तहत प्रावधानी निधि (EPF) एवं बीमा (ESI),GST, सेवाकर आदि की राशि जमा करवाने, एवं अन्य वित्तीय अथवा कानूनी दायित्व ठेकेदार/संस्था के होंगे। इस हेतु कोई अतिरिक्त भुगतान क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा नहीं किया जावेगा।



क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एस-ए-6, मण्डिया रोड़ औद्योगिक क्षेत्र, पाली

Phone No. 02932-231616 Email address-rorpcb.pali@gmail.com

- 11 श्रम एवं अन्य सम्बन्धित कानूनों की पालना न करने पर अथवा अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन करने पर एवं कार्य सन्तोषजनक नहीं पाये जाने पर बिना नोटिस दिये ठेका समाप्त किया जा सकता है व कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।
 - 12 ठेकेदार/संस्था द्वारा नियोजित श्रमिकों के संबंध में उत्पन्न होने वाली किसी भी सेवा/श्रमिक संबंधी विवाद में दायित्व ठेकेदार/संस्था का होगा तथा क्षेत्रीय कार्यालय से उनका कोई सम्बन्ध नहीं होगा।
 - 13 यदि अनुबन्ध से संबंधित कार्यों के सम्पादन में किसी प्रकार की लापरवाही पायी जाती है एवं इसके लिये निविदा शर्तों/कार्यादेश में शास्ति (Penalty) का स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है तो ऐसे कार्यों में लापरवाही या किसी प्रकार की शास्ति क्षेत्रीय अधिकारी, रा. प्र. नि. म. पाली द्वारा आरोपित की जा सकेगी।
 - 14 ठेकेदार द्वारा चुकाये जाने वाली किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति/दंड एवं शास्ति (Compensation and Penalty) की राशि ठेकेदार को देय किसी भी प्रकार के भुगतान अथवा प्रतिभूति (Payment or Security) राशि में से वसूल करने का अधिकार क्षेत्रीय कार्यालय को होगा।
 - 15 उक्त शर्तों के अतिरिक्त सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों/RTTP Rules की शर्तें व विनियम भी ठेकेदार/संस्था को स्वीकार्य होंगे।
 - 16 इस निविदा के सम्बन्ध में अथवा इसके तहत निष्पादित किये जाने वाले अनुबन्ध के संबंध में कोई न्यायिक विवाद किसी भी सक्षम न्यायालय में उत्पन्न होता है अथवा पूर्व के ठेके का कोई विवाद न्यायालय में लम्बित हो और माननीय न्यायालय द्वारा यदि कोई दिशा निर्देश पारित किया जाये तो माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना ठेकेदार/संस्था द्वारा सुनिश्चित की जानी होगी चाहे वह प्रकरण में पक्षकार हो अथवा नहीं हो।
 - 17 यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा किसी भी परिस्थिति में यदि उक्त कार्य का कोई विकल्प प्राप्त कर लिया जाता है तो एक माह के पूर्व नोटिस के बाद संविदा समाप्त की जा सकेगी।
 - 18 इस निविदा के तहत अनुबन्ध की अवधि वित्तीय वर्ष 2025-2026 तक के लिये ही होगी तथापि अनुबन्ध की अवधि में कमी अथवा बढ़ोतरी करने का अधिकार क्षेत्रीय कार्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।
 - 19 इस निविदा के सम्बन्ध में अथवा इसके तहत निष्पादित किये जाने वाले अनुबन्ध की शर्तों की व्याख्या अथवा अनुबन्ध से सम्बन्धित किसी भी मामले में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इस विवाद पर क्षेत्रीय अधिकारी, रा0 प्र0 नि0 म0, पाली का निर्णय अंतिम होगा और ठेकेदार/संस्था को मान्य होगा एवं ठेकेदार एवं क्षेत्रीय कार्यालय की आपसी सहमति से अनुबन्ध की अवधि को निविदा की शर्तों एवं दरों पर नियमानुसार बढ़ा सकते हैं।
 - 20 ठेकेदार या उसके क्षेत्र सहायक (Field Assistant) द्वारा नमूने के एकत्रीकरण के कार्य में प्रतिदिन क्षेत्रीय कार्यालय प्रयोगशाला प्रभारी के निर्देशानुसार प्रयोगशाला में नमूनों को मय आकड़ा प्रतिवेदन (Collected sample and Data Sheet) विश्लेषण के लिये जमा कराया जायेगा।
- शास्ति (Penalty)**
- ठेकेदार/ठेकेदार के प्रतिनिधि द्वारा आंकड़ा प्रतिवेदन एवं नमूनों को क्षेत्रीय कार्यालय प्रयोगशाला में समय पर जमा नहीं कराने पर उस दिन की भुगतान (Payment) की जाने वाली राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा तथा उस दिन किये जाने वाली भुगतान राशि के बराबर की राशि की शास्ति (Penalty) लगायी जायेगी।
 - ठेकेदार द्वारा लगातार तीन दिवसों पर कार्य में लापरवाही करने पर उन दिनों को भुगतान की जाने वाली राशि की दो गुना राशि शास्ति के रूप में वसूली जायेगी।
 - लगातार सात कार्य दिवसों पर लापरवाही करने पर ठेका निरस्त किया जा सकेगा एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पूर्ण रूप से जब्त करी जायेगी तथा उसकी जोखिम पर कार्य अन्य संख्या से करवाया जावेगा तथा अन्तर की राशि ठेकेदार से वसूल की जावेगी।
- 21 किसी भी प्रकार के न्यायिक विवाद का क्षेत्राधिकार पाली होगा।
 - 22 आगामी माह का बिल का भुगतान गत माह की E.S.I., P.F., GST के जमा की चालान मय ECR व भुगतान रसीद की प्रतिलिपि मय सूची प्रस्तुत करने पर ही किया जायेगा।
 - 23 श्रम विभाग की दरों एवं अन्य प्रावधानों की पालना भी सुनिश्चित की जावे। उक्त दरों को राज्य सरकार/मण्डल मुख्यालय द्वारा संशोधित किये जाने पर तदनुसार देय होगा।

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर

नाम: मैसर्स:

पता:

दिनांक :

क्षेत्रीय अधिकारी
रा.रा.प्र.नि.म., पाली



क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
एस-ए-6, मण्डिया रोड़ औद्योगिक क्षेत्र, पाली
Phone No. 02932-231616 Email address-rorpcb.pali@gmail.com

राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता प्रबोधन कार्यक्रम के अन्तर्गत सेवायें उपलब्ध कराने हेतु निविदा शर्त:-

1. निविदादाता को शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ लेना चाहिए एवं निविदा प्रस्तुत करते समय इनकी पूर्णतः पालना करनी चाहिए। निविदादाता को यदि किसी शर्त या कार्य के बारे में कोई सन्देह हो या वह अस्पष्ट लगे तो अपनी निविदा प्रस्तुत करने से पहले उसका क्षेत्रीय कार्यालय, रा. प्र. नि. म. पाली से स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिया जावे। किसी भी शर्त की व्याख्या या विशेष विवरण के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय का निर्णय ही अंतिम व मान्य होगा।
2. तकनीकी बोली लिफाफा संख्या-01 एवं वित्तीय बोली लिफाफा संख्या-02 को एक मुहरबन्द लिफाफे में रखकर लिफाफे पर "राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता प्रबोधन कार्यक्रम के अन्तर्गत सेवायें उपलब्ध कराने के लिए मांगी जाने वाली निविदा" अंकित कर उसे क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, एस.ए. 6 मण्डियारोड़ औद्योगिक क्षेत्र, पाली, जिला अजमेरको संबोधित करते हुये रजिस्टर्ड डाक/सा धारण डाक द्वारा या व्यक्तिशः इस प्रकार से प्रस्तुत करना होगा कि वह निर्धारित तिथि एवं समय तक क्षेत्रीय कार्यालय, पाली में पहुँच जावे।
3. सफल निविदादाता को कार्यादेश दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर-अन्दर स्वयं के खर्चे पर रुपये 500/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एक अनुबन्ध पत्र भरकर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा जिसका प्रपत्र क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त किया जा सकेगा।
4. निविदा (टेका) अनुमोदित होने पर जारी कार्य आदेश की तिथि के सात दिवस में कार्य की अनुमानित राशि के 5% के बराबर राशि कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रूप में क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, पाली के पक्ष में डी.डी./बैंकर्स चैक के रूप में प्रस्तुत करनी होगी। प्रतिभूति पर किसी प्रकार का कोई ब्याज देय नहीं होगा। टेका अवधि पूर्ण होने के पश्चात टेका अवधि में कार्य सन्तोषजनक होने तथा किसी प्रकार का विवाद नहीं होने की स्थिति में प्रतिभूति राशि नियमानुसार वापिस लौटा दी जावेगी।
5. निर्धारित अवधि में अनुबन्ध नहीं करने पर निविदा निरस्त कर दी जावेगी एवं अन्य निविदादाता की निविदा स्वीकृत करने का निर्णय लिया जा सकेगा।
6. यह निविदा केवल वही व्यक्ति/फर्म/संस्थाएँ प्रस्तुत कर सकती है जिनका पंजीयन श्रम विभाग, आयकर विभाग पी.एफ. व ई.एस.आई. जी.एस.टी. में हो एवं इस प्रकार के राष्ट्रीय एवं समकक्ष कार्यक्रम में कार्य करने का 02 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। साक्ष्य के रूप में उक्त पंजीयन प्रमाण पत्रों की फोटो प्रतियाँ निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। बिना पंजीयन प्रमाण पत्रों के आवेदन करने वाली फर्म/व्यक्ति/संस्थाओं की निविदा को निरस्त समझा जावेगा।

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर

नाम: मैसर्स:

दिनांक :

पता:


क्षेत्रीय अधिकारी
रा.रा.प्र.नि.म., पाली



क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
एस-ए-6, मण्डिया रोड़ औद्योगिक क्षेत्र, पाली
Phone No. 02932-231616 Email address-rorpcb.pali@gmail.com

वहन चालक हेतु शर्त:-

1. ड्राइवर कार्यालय समयानुसार कार्यालय में उपलब्ध रहेंगे। कार्यालय द्वारा ड्राइवर को आवश्यकता होने पर किसी भी समय बुलाया जा सकता है।
2. किसी भी कार्मिक की आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
3. ड्राइवर के पास वैध मोटर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ड्राइवर द्वारा ट्राफिक नियमों के उल्लंघन पर लगने वाला जुर्माना फर्म से वसूला जाएगा।
4. किसी भी कर्मचारी के अनुपस्थित रहने की दशा में निविदादाता को अन्य कर्मचारी को तत्काल उपलब्ध करवाना होगा।
5. निविदादाता को श्रम नियम कानून की पालना करनी होगी।
6. बिल का भुगतान प्रतिमाह किया जाएगा जिसके साथ सम्बन्धित विभाग में लगाये गये गार्ड व उपस्थित व बिल विभाग के अधिकारी/प्रभारी से प्रमाणित करा कर निविदादाता को देनी होगी।
7. आपूर्तिकर्ता अपनी संविदा या उसके किसी भाग को किसी अन्य एजेन्सी को Sublet नहीं करेगा।
8. निविदादाता के कर्मचारी की ड्यूटी समय में कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की चोरी व नुकसान होने वाली क्षति की क्षतिपूर्ति निविदादाता को करनी होगी।
9. कर्मचारी के ड्यूटी पर आने जाने व ड्यूटी समय में कार्य के दौरान किसी भी तरह की घटना-दुर्घटना होने पर समस्त जिम्मेदार निविदादाता की होगी।
10. ड्यूटी पर तैनात कोई भी कर्मचारी किसी भी प्रकार का व्यसन लेना, नशा करना, ताश, खेलना अथवा किसी भी प्रकार की अनैतिक आचरण नहीं करेगा।
11. कर्मचारी का कार्य कुशल न होने, अनुशासन में नहीं रहने, लापरवाही बरतने पर मण्डल निर्देशानुसार कर्मचारी को बदलना होगा।
12. उपलब्ध कराये गये कर्मचारी के फोटो पहचान पत्र एवं 8वीं पास का प्रमाण कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
13. सफल बोलीदाता न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार पारिश्रमिक के भुगतान के संबंध में स्वयं जिम्मेदार होगा तथा राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित समस्त करों के संबंध में सम्पूर्ण दायित्व सफल बोलीदाता का होगा। न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी की शिकायत प्राप्त होने पर निविदादाता स्वयं जिम्मेदार होगा तथा नियमानुसार निविदादाता के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।
14. निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये सभी कर्मियों के साथ घटित किसी भी प्रकार की दुर्घटना के लिये मण्डल उत्तरदायी नहीं रहेगा। इस निविदादाता अपने स्तर पर कामगारों को आवश्यक व उचित रूप से बीमा करवाने का बाध्य होगा।
15. ड्राइवर को दिए गए कार्यों को करते समय यदि किसी मृत्यु की ही जाती है या कर्मचारी किसी भी रूप में अपंग हो जाता है या अन्य कोई क्षति होती है या कोई अनहोनी हो तो उसकी समस्त जिम्मेदारी एवं इसके मुआवजे आदि के भुगतान का भार निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता ठेकेदार द्वारा ही वहन किया जाएगा। मण्डल किसी भी प्रकार की क्षति/मुआवजे के लिए किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होगा।
16. वाहन चालक द्वारा वाहन की लॉगशीट प्रतिदिन संधारित कर सम्बंधित अधिकारी द्वारा प्रमाणित करवाई जावेगी।
17. आवश्यकता पडने पर वाहन चालक को राजपत्रित अवकाश के दिन भी बुलाया जा सकता है। यदि वाहन चालक उपलब्ध नहीं होता तो बोलीदाता को दूसरा वाहन चालक उपलब्ध करवाना होगा। इस हेतु कोई अतिरिक्त राशि देय नहीं होगी।
18. वाहन चालक द्वारा मण्डल के वाहन का पूर्ण रखरखाव, साफ-सफाई आदि का कार्य प्रतिदिन किया जाएगा।
19. किसी भी विवाद में क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम पाली का निर्णय ही अन्तिम निर्णय होगा।
20. सभी विवादों को न्यायिक क्षेत्र, पाली न्यायालय ही रहेगा।
21. नियमानुसार आयकर एवं जीएसटी पर TDS की कटौती निविदादाता को देय भुगतान से की जावेगी।
22. किसी भी प्रकार की क्षति के लिए क्षति पूर्ति का दायित्व निविदादाता का होगा।

क्षेत्रीय अधिकारी
रा.रा.प्र.नि.म., पाली



क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
एस-ए-6, मण्डिया रोड़ औद्योगिक क्षेत्र, पाली
Phone No. 02932-231616 Email address-rorpcb.pali@gmail.com

23. किसी भी निविदा को स्वीकृत /अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्तारकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।
24. कर्मचारी घटाने बढ़ाने का अधिकार अधोहस्तारकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।
25. राज्य सरकार द्वारा वाहन चालक आदि कर्मचारियों के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी आदेशों /नियम निविदाता को मान्य होंगे।
26. उपरोक्त कार्यों में से कोई भी कार्य/सेवा ठेकेदार द्वारा समय पर प्रदान नहीं करने पर कार्य/सेवा बाज़ार से या अन्य किसी व्यक्ति से करवा लिया जायेगा और इस प्रकार के कार्य पर व्यय होने वाली राशि सेवा प्रदाता एजेंसी के भुगतान में से काट ली जावेगी इसके अतिरिक्त आर्थिक दण्ड के रूप में कार्य करवाने पर व्यय की गई राशि से दो गुना राशि तक दण्ड के रूप में आरोपित की जा सकती है।
27. वाहन चालक निर्धारित वर्दी में होना चाहिए तथा शर्ट पर नेमप्लेट/ प्लेसमेंट एजेंसी का नाम लिखा होना चाहिए सिक्युरिटी मैन को एजेंसी द्वारा टॉर्च, वर्दी, डंडा आदि आवश्यक रूप से प्रदान की जावेगी। इसके लिए अलग से कोई भुगतान कार्यालय द्वारा नहीं किया जावेगा।
28. निविदादाता को वाहन चालक सेवाओं संबंधी राज्य सरकार का अनुज्ञा पत्र/लाइसेन्स एवं सेवाकर/आयकर नम्बर मय प्रमाणित प्रति के प्रस्तुत करने होंगे।
29. वाहन की नियमित साफ सफाई, देखरेख, फिटनेस की जिम्मेदारी ड्राइवर की होगी।
30. वाहन चालक को मण्डल मुख्यालय जयपुर के पत्रांक एफ1(260)/राप्रनिम/स्था./2105-08 दिनांक 16.01.2019 के अनुसार मुख्यालय के अतिरिक्त क्षेत्राधिकार के अन्य स्थानों पर कार्य के दौरान रात्रि विश्राम पर प्रतिरात्रि रुपये 300/- का भुगतान मांगकर्ता एजेंसी को देय होगा।
31. कर्मचारी के आवश्यक दस्तावेज यथा आधार कार्ड , वोटर आई. डी. एवं आयु प्रमाण-पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे।

दिनांक

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर

नाम मैसर्स व पता


क्षेत्रीय अधिकारी
रा.रा.प्र.नि.म., पाली



क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
एस-ए-6, मण्डिया रोड़ औद्योगिक क्षेत्र, पाली
Phone No. 02932-231616 Email address-rorpcb.pali@gmail.com

वित्तीय निविदा (Financial Bid)

क्र. सं.	सेवा का नाम	श्रमिकों की संख्या	सी.पी.सी.बी. (CPCB) द्वारा निर्धारित तथा आर.एस.पी.सी.बी. (RSPCB) द्वारा संरक्षित दर पर प्रति माह/प्रति इकाई	सेवाप्रदाता द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली दर प्रति माह/प्रति श्रमिक	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज प्रतिमाह रुपये	EPF राजस्थान सरकार द्वारा प्रचलित दर	ESI राजस्थान सरकार द्वारा प्रचलित दर	कुल राशि अकों में
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	वैज्ञानिक सहायक (CPCB Project)	01	15,000/-			13%	3.25%	
2	क्षेत्र सहायक (CPCB Project)	03	13,000/-			13%	3.25%	
3	क्षेत्र सहायक (RO Office Lab)	01	8034/-			13%	3.25%	
4	प्रयोगशाला परिचारक (RO Office Lab)	01	8034/-			13%	3.25%	
5	वाहन चालक	01	12000/-			13%	3.25%	

- CPCB के द्वारा देय पारिश्रमिक राशि के अनुसार राशि श्रमिकों को देने हेतु बिड प्रपत्र के वित्तीय बिड के कॉलम संख्या 04 में पारिश्रमिक राशियां निर्धारित कर राज्य मण्डल द्वारा दर संरक्षित की गई है, अतः बिड के वित्तीय प्रपत्र में कॉलम संख्या 05 में बिडदाता द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम पारिश्रमिक राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 17953 दिनांक 28.06.2022 द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर (8034/-) से कम का प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं होगा।
- क्र.सं. 1 के लिए 26000/- तथा क्र.सं. 02 के लिए 22000/- रुपये अधिकतम कुल राशि सी.पी.सी.बी. द्वारा निर्धारित है, इससे अधिक राशि किसी भी रूप में देय नहीं है। उक्त राशि में समस्त प्रकार के भत्ते/चार्ज (CPF/ESI/Service Charge etc.) सम्मिलित होंगे।
- उपर्युक्त तालिका में संवेदक द्वारा कॉलम 5, 6 एवं 09 में राशि अंकित की जावेगी। शेष कॉलमों की पूर्तिया इस कार्यालय द्वारा अंकित कर, बोली दस्तावेजों में अंकित कर उपलब्ध करवाई गई है। L-1 का निर्णय उपापन कमेटी द्वारा समस्त तकनीकी एवं वित्तीय तथ्यों को आधार मानकार किया जावेगा।
- बोलीदाता/संवेदक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी।
- एक से अधिक बोलीदाताओं को कॉलम 09 में समान राशि अंकित होने पर जिस बोलीदाता का अनुभव व वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 में वार्षिक टर्न ओवर पर किया जायेगा। तथा उस बोलीदाता को प्राथमिकता दी जा सकती है।
- स्तम्भ संख्या 5 एवं 6 में (0) शून्य, पैसे एवं (-) ऋणात्मक में राशि स्वीकार नहीं होगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील
नाम.....


क्षेत्रीय अधिकारी
रा.रा.प्र.नि.म., पाली



क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
एस-ए-6, मण्डिया रोड औद्योगिक क्षेत्र, पाली
Phone No. 02932-231616 Email address-rorpcb.pali@gmail.com

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any Person Participating in a procurement process shall –

- (a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation ;
- (c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process ;
- (d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or in directly, to any party or to its property to influence the procurement process ;
- (f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (g) disclose conflict of interest, if any; and
- (h) disclosed any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity;

Conflict of interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of interest.

A. Conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interest that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

1A Bidder may be considered to be in Conflict of interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to;

- a. have controlling partners/ shareholders in common, or
- b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
- c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or


क्षेत्रीय अधिकारी
रा.रा.प्र.नि.म., पाली



क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
एस-ए-6, मण्डिया रोड़ औद्योगिक क्षेत्र, पाली
Phone No. 02932-231616 Email address-rorpcb.pali@gmail.com

- d. have a relationship with each other directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder; or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
- e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
- f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Good, Works or Services that are the subject of the Bid; or
- g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer – in – charge / consultant for the contract.


क्षेत्रीय अधिकारी
रा.रा.प्र.नि.म., पाली



क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
एस-ए-6, मण्डिया रोड औद्योगिक क्षेत्र, पाली
Phone No. 02932-231616 Email address-rorpcb.pali@gmail.com

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualification

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid Submitted to.....for
procurement ofin response to their Notice Inviting Bids No.
..... Dated..... I/We hereby declare under section 7 of
Rajasthan Transparency in public Procurement Act .2012, that:

1. I/We Possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity ;
2. I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/We are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/We do not have, and our directors and officers not have been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statement or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings.
5. I/We do not have a conflict of interest as specified in the Ac, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:.....

Signature of bidder

Palace:.....

Name:.....

Designation:.....

Address:.....


क्षेत्रीय अधिकारी
रा.रा.प्र.नि.म., पाली



क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
एस-ए-6, मण्डिया रोड़ औद्योगिक क्षेत्र, पाली
Phone No. 02932-231616 Email address-rorpcb.pali@gmail.com

Annexure C: Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is **Member Secretary, RSPCB Jaipur**

The designation and address of the Second Appellate Authority is **Chairperson, RSPCB Jaipur**

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision of action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved;

Provided that after the declaration of a Bidder successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceeding;

Provided further that in case a procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

- (2)** The officer to whom an appeal is filed under Para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall Endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.
- (3)** If the officer designated under Para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in Para (2), or if the Bidder or prospective Bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) or the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases.

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely :-

- (a) determination of need of procurement;
- (b) provisions limiting participation of Bidder in the Bid process;
- (c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
- (d) cancellation of a procurement process;
- (e) applicability of the provisions of confidentiality;


क्षेत्रीय अधिकारी
रा.रा.प्र.नि.म., पाली



क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
एस-ए-6, मण्डिया रोड औद्योगिक क्षेत्र, पाली
Phone No. 02932-231616 Email address-rorpcb.pali@gmail.com

(5) Form of Appeal

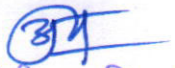
- (a) An appeal under Para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
- (c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

- (a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non – refundable.
- (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

- (a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the may be, upon filing of appeal shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fixed date of hearing.
- (b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall;
 - (i) Hear all the parties to appeal present before him; and
 - (ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies there of relating to the matter;
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of document and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority Concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
- (d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.


क्षेत्रीय अधिकारी
रा.रा.प्र.नि.म., पाली



क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
एस-ए-6, मण्डिया रोड़ औद्योगिक क्षेत्र, पाली
Phone No. 02932-231616 Email address-rorpcb.pali@gmail.com

FORM No. 1 [See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No

of.....

Before the (First /Second
Appellate Authority)

1. Particulars of appellant :
 - (i) Name of the appellant:
 - (ii) Official address, if any:
 - (iii) Residential address:
2. Name and address of the respondent(s):
 - (i)
 - (ii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
4. If the appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative;
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
6. Grounds of appeal:
.....
.....

(Supported by an affidavit)

7. Prayer:

.....
.....

Place:.....

Date:.....


क्षेत्रीय अधिकारी
रा.रा.प्र.नि.म., पाली

Appellant's Signature



Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid this substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids of the following basis :

- i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and unit price shall be corrected;
- ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected ; and
- iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

- (i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the condition of the contract.
- (ii) If the Procuring Entity Does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.
- (iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall

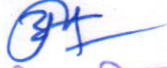


क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
एस-ए-6, मण्डिया रोड औद्योगिक क्षेत्र, पाली
Phone No. 02932-231616 Email address-rorpcb.pali@gmail.com

not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidder in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.


क्षेत्रीय अधिकारी
रा.रा.प्र.नि.म., पाली



क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
एस-ए-6, मण्डिया रोड़ औद्योगिक क्षेत्र, पाली
Phone No. 02932-231616 Email address-rorpcb.pali@gmail.com

(नोटेरी द्वारा सत्यापित 50 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

Declaration realted to Blacklisted Firm

मैं/हम पुत्र श्री

पदनाम (प्रोपराईट/पार्टनर/अधिकृत प्रतिनिधि).....मै.

(फर्म का नाम)

(फर्म का पता).....

(घर का पता) यह शपथपूर्वक घोषणा करते है हमारी फर्म मै0

.....को भारत में कही भी ब्लैक लिस्टेड नही किया गया है।

दिनांक :-

स्थान :-

नाम

निविदादाता के हस्ताक्षर मय

व फर्म का पता मोहर सहित


क्षेत्रीय अधिकारी
रा.रा.प्र.नि.म., पाली